

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcparyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/डेवलपर	स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड					
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 14/2016 दिनांक : 26.09.2016, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि : 09.01.2017. मेमो नं. ZP-1130/SD(BS)/2017/487, हरियाणा रेरा प्रमाणित नं.: 02 of 2017 दिनांक 19.06.2017.					
3. स्थान	सेक्टर 36, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा।					
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 9.775 एकड़ में कुल 1304 अपार्टमेंट में से 77 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑनगवाड़ी-सह-क्रेश।					
5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम						
अपार्टमेंट के विवरण				अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)			
1BHK T1	17	488.11	79.31	17,96,851	89,843	3,59,370
2BHK T2	21	583.04	110.31	21,48,944	1,07,447	4,29,789
2BHK T3	3	583.04	88.74	21,43,314	1,07,166	4,28,663
2BHK T4	4	583.04	89.13	21,43,509	1,07,175	4,28,702
2BHK T5	29	531.57	82.12	19,54,712	97,736	3,90,942
2BHK T6	1	584.34	108.24	21,53,624	1,07,681	4,30,725
2BHK-MQ T8	1	532.53	89.53	19,61,873	98,094	3,92,375
2BHK-MQ T9	1	551.24	89.53	20,29,229	1,01,461	4,05,846
ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।						
6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।					
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़कियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : डेड मरंदी/माडुल स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट / 7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेंपर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिस्टेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिकल फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : RCC फ्रेम स्ट्रक्चर जो नवीनतम IS कोड और NBC के सुझावों के अनुसार सीमिक बलों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।					
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर स्टर्नल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड पता : ग्राउंड फ्लोर, सिग्नेचर टावर, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 30.01.2019. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।					

योग्यता :

- आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो।
- आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंसड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो।
- एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पर्सन का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानक :

- अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे।
- लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे।
- मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcparyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।



THE
Serenas®
SECTOR 36, SOHNA, GURUGRAM, HARYANA

HRERA NO.: 02 of 2017 dated 19.06.2017



12 लाख रुपये के आवास ऋण पर PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लगभग 2.67 लाख रुपये ब्याज सबसिडी का लाभ उठाएँ*



7053-121-121

Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website <https://haryana.rrera.gov.in/>. Journey time shown, if any is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. *Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges if applicable. T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft.